रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 1969/श्रावण 23, 1891

No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 1969/SRAVANA 23, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August 1969

G.S.R. 1974.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other privileges) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other privileges) Amendment Rules, 1969.

2. In rule 3 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other privileges) Rules, 1957—

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
"(2) There shall be granted to the Minister of Irrigation and Power, a sumptuary allowance of Rs. 250.00 per mensem.";

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) There shall be granted to—

(a) the Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals, for the period commencing from the 28th April, 1968 and ending with the 14th February, 1969, a sumptuary allowance of Rs. 250.00 per mensem;

(b) the Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals for the period commencing from the 23rd August, 1968 and ending with the 14th February, 1969, a sumptuary allowance of Rs. 250.00 per mensem;

(c) the Minister of Parliamentary Affairs and Shipping & Transport, with effect from the 15th February, 1969, a sumptuary allowance of Rs. 400.00 per mensem."

[No. 14/10/69-Pub. I.]

Memorandum

Sumptuary allowance given to Ministers who are not members of the Cabinet, is determined in each case having regard to the requirements of the particular assignment of the Minister. Formulation and consideration of proposals in this behalf takes time and the amendment of the rules in such cases has necessarily to be given retrospective effect. No one's interest is prejudicially affected by reason of the retrospective effect, as is being given in this Notification.

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1969

सा० का० नि० 1875.—मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम मंत्रियों के भत्ते, चिकत्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

2. मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957, के नियम 3 में—

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) सिंचाई और विद्युत मंत्री को 250.00 रु० प्रतिमास का आतिथ्य भत्ता दिया जाएगा।"

(ii) उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) (क) इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री को 28 अप्रैल, 1968 से प्रारम्भ होने वाली और 14 फरवरी, 1969 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए 250.00 रु० प्रति मास का आतिथ्य भत्ता;

(ख) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री को 23 अगस्त, 1968 से प्रारम्भ होने वाली और 14 फरवरी, 1969 को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए 250.00 रु० प्रतिमास का आतिथ्य भत्ता;

(ग) संसदीय कार्य तथा पोतपरिवहन और परिवहन मंत्री को 15 फरवरी, 1969 से 400.00 रु० प्रति मास का आतिथ्य भत्ता दिया जाएगा।"

[सं० 14/10/69-पब-1.]

शापन

उन मंत्रियों को, जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं, दिया गया आतिथ्य भत्ता, प्रत्येक मामले में, मंत्री को विशिष्ट रूप से सौंपे गए कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर अवधारित किया जाता है। इस निमित्त प्रस्तावों को बनाने और उन पर विचार करने में समय लगता है और ऐसे मामलों में नियमों के संशोधन को आवश्यक रूप से भूतलक्षी प्रभाव देना होता है। उस भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा कि इस अधिसूचना को दिया जा रहा है, किसी के भी हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969